<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उार प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उार प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री सैटलाइट बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड, के-1, इण्डस्ट्रियल एरिया, परसाखेड़ा, बरेली ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**92 / 09, 14.09.2009**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

<u>उार प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री सैटलाइट बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड, के-1, इण्डस्ट्रियल एरिया, परसाखेड़ा, बरेली द्वारा दिनांक 14.09.2009 को उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह प्रश्न किया गया है कि क्या उनके द्वारा निर्मित प्लास्टिक की डिस्पोजेबल वस्तुएं-प्लेट, कप, चम्मच, ग्लास आदि उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की क्रम संख्या-24 एवं 39 में 4% की दर से करयोग्य होंगी ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गई, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 07.08.2013 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । इसके पूर्व भी कई नोटिस भेजी गई थी । दिनांक 14.07.2010 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए जारी नोटिस दिनांक 10.07.2010 के प्रतिउार में एक लिखित प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया गया है, जो पत्रावली पर संलग्न है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पूछा गया बिन्दु सर्वश्री अग्रवाल निवाड़ भण्डार, 77 / 8-A सूतरखाना, कानपुर के प्रार्थना-पत्र संख्या-07 / 2009 में, दिनांक 12.08.2009 को निर्णीत है । अत: उक्त आधार पर निर्णय देने का अनुरोध किया ।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि सर्वश्री अग्रवाल निवाड़ भण्डार, 77 / 8-A सूतरखाना, कानपुर के प्रार्थना-पत्र पर दिये गये निर्णय दिनांक 12.08.2009 में प्लास्टिक के बने दोने, प्लेट, ग्लास, चम्मच एवं कॉटे पर, उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-7, 39 एवं 24 के अन्तर्गत 4% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है । अत: उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इन वस्तुओं पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए ।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों तथा विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि सर्वश्री अग्रवाल निवाड़ भण्डार, 77 / 8-A सूतरखाना, कानपुर के प्रार्थना-पत्र पर दिये गये निर्णय दिनांक 12.08.2009 में प्लास्टिक के बने दोने, प्लेट, ग्लास, चम्मच एवं कॉटे पर, उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-7, 39 एवं 24 के अन्तर्गत 4% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है । अत: उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इन वस्तुओं पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी ।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उार उपरोक्तानुसार दिया जाता

....2

है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 20 अगस्त, 2013

ह0 / 20.08.2012

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उार प्रदेश, लखनऊ।